



ओ. पी. भट्ट एड.

जी. ए.

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
22.06.2016	<p>उभयपक्ष के वकील उपस्थित। पूर्व आदेश की पालना की जावें। अप्रार्थी संख्या 21 के नाम नोटिस पेश होने पर जारी होकर पत्रावली दिनांक 22.07.2016 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">                       (किशोर कुमार)                      उच्च न्यायालय, अजमेर                 </p> <p>22-7-16 पीठासीन अधिकारी के आज राजकीय कार्यालय मुख्यालय से बाहर/अवकाश पर होने से पत्रावली पूर्ववत् कार्यवाही हेतु दिनांक 26-8-16 को पेश हो।</p>	
26.08.2016	<p>उभयपक्ष के वकील उपस्थित। पैरोकार सरकार ने प्रारंभिक एतराज दर्ज करवाते हुए कथन किया कि प्रार्थी द्वारा मृतक व्यक्ति के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र में अंकित अप्रार्थी संख्या 8 इस्माइल पुत्र कालू, अप्रार्थी संख्या 10 अहमद पुत्र जोरा, अप्रार्थी संख्या 11 पांचा पुत्र देवा, अप्रार्थी संख्या 14 लालू पुत्र वजीरा व अप्रार्थी संख्या 15 सुभान पुत्र वजीरा की मृत्यु प्रार्थना पत्र पेश करने से पूर्व ही हो चुकी थी। मृतक व्यक्तियों के विरुद्ध प्रकरण पोषणीय नहीं होने से निरस्त किया जावें।</p> <p>वकील प्रार्थी ने पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत तर्कों का विरोध करते हुए कथन किया कि मृतक के विधिक वारिसान को रेकार्ड पर लेकर प्रकरण का विधि अनुरूप निस्तारण किया जावें।</p> <p>हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व ही अप्रार्थी संख्या 8, 10, 11, 14 व 15 की मृत्यु हो चुकी थी। मृत व्यक्तियों के विरुद्ध किसी भी प्रकार का वाद/प्रार्थना पत्र संधारण योग्य नहीं है। इस संबंध में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा अनेक न्यायिक दृष्टांत प्रतिपादित किये गये हैं। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाकर उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वे मृतक के जायन्दा विधिक वारिसान को पक्षकार बनाते हुए नये सिरे से 90 दिन में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है।</p> <p>पत्रावली नम्बर से कम होकर संग्रह भण्डार हो।</p> <p style="text-align: right;">                       (किशोर कुमार)                      उच्च न्यायालय, अजमेर                 </p>	